राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प.2( )निचिस्वा/विधि/2025/160 दिनांक : 07/03/2025

समस्त संयुक्त निदेशक–जोन,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारीं,
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0),
जिला प्रजनन, शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला क्षय रोग अधिकारी,
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त सीएचसी, पीएचसी प्रभारी।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर/अधिकरण मे जवाब से लम्बित प्रकरणो मे जवाब दावा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध मे।

1. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर/अधिकरण में विभाग के विरुद्ध दायर जवाब से लम्बित याचिकाओ/ अवमानना प्रकरणों/डीबी स्पेशल अपीलों में अविलम्ब जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। विभाग के विरुद्ध दायर प्रकरणों में केस प्रभारी अधिकारी द्वारा समय पर जवाब/पालना रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर माननीय न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित करते हुये उच्च अधिकारियों को व्यक्तिशः उपस्थित होने के आदेश पारित किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित केस प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
2. अवमानना प्रकरणों में नियुक्त केस प्रभारी अधिकारी आदेश अवमानना याचिका की प्रति प्राप्त होते ही जिस आदेश के विरुद्ध अवमानना दायर हुई है, उस आदेश के सम्बन्ध में सम्बन्धित शाखा द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट/पालना प्राप्त कर सम्बन्धित अतिरिक्त महाधिवक्ता से सम्पर्क कर जवाब/पालना रिपोर्ट अविलम्ब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प.2( )निचिस्वा/विधि/2025/160 दिनांक : 07/3/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
3. निजी सचिव, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, आयुक्तालय, मुख्यालय।
4. निदेशक, अराजपत्रित, मुख्यालय।
5. अतिरिक्त निदेशक, (राजपत्रित), मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक एवं राज्य नोडल अधिकारी, विधि, मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक (नर्सिंग/अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/प्रशिक्षण), राजपत्रित/आरसीएच/एड्स/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य, (राजपत्रित)/संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं औषधि मुख्यालय/परियोजना निदेशक, एनएचएम ।
8. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
9. आदेश हेतु रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।